न्यायालय सहायक कलक्टर(S.D.O.),शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी डॉ. नरेश सोनी, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
श्रीमती मनोज कंवर पत्नी कुलदीपसिंहजी, निवासी पालड़ी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज0)	बनाम	1.श्रीमती ओमकंवर पत्नी खीमसिंह जी राजपूत 2.श्रीमती मनोज कंवर पत्नी कुलदीपसिंह राजपूत 3.श्री हरिसिंह पुत्र धनसिंह राजपूत 4.श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी सरदारसिंह राजपूत 5.श्रीमती सागर कंवर पत्नी रामसिंह राजपूत 6.श्री सोहन सिंह पुत्र सरदारसिंह राजपूत 7.श्री गोमाराम पुत्र ईदाजी कुम्हार समस्त निवासी पालड़ी एम, तहसील शिवगंज जिला सिरोही 8.सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग शिवगंज 9.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता–श्री महेन्द्रसिंह राव
श्री मोहब्बतसिंह देवड़ा

विद्वान अधिवक्ता–श्री कांतिलाल परिहार

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 32/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

दिनांक 06.01.2023

–:: आदेश ::–

प्रार्थीया ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगणों के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2022 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मौजा पालड़ी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा नं0 198/3 व 198/4 कुल रकबा 1.813 हैक्टेयर की आई हुई है। मैं प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी का सुविधापूर्ण उपयोग उपभोग करने के लिये तथा भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो, इसके लिये नियमानुसार शांतिपूर्ण ढंग से नेकमबंदी/पत्थरगढी सीमा चिन्ह मेरी उक्त खातेदारी आराजी के चारो तरफ करवाना चाहती हूं। मुझ प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नं0 198/1, 193, 194, 198/4, 201 के मध्य आई हुई है। जिसको लेकर आए दिन वाद–विवाद होता रहता है। अतः उपरोक्त नेकमबंदी/पत्थरगढी सीमा चिन्ह नहीं होने से बार–बार मौके पर सीमा विवाद एवं अतिक्रमण की आशंका रहती है तथा जमीन की जुताई में भी दुविधा असुविधा उत्पन्न नहीं हो इसलिए मैं प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी खसरा नं0 198/3 व 198/4 कुल रकबा 1.813 हैक्टेयर के चारों तरफ नेकमबंदी/पत्थरगढी सीमा चिन्ह करवाने हेतु उक्त खातेदारी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने के कारण श्रीमान के न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगणों के वर्णित आराजी की नपाई तथा उसकी सीमा पर सीमा चिन्ह/पत्थरगढी अंकित किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थीया के खातेदारी आराजी मौजा पालड़ी एम के खाता संख्या 381 खसरा नम्बर 198/3 रकबा 1.1331 है0 किस्म चाही–2 खाता संख्या 475 खसरा नं0 198/4 रकबा 0.6799 है0 किस्म चाही–2 की [illegible] नकल, नक्शा की प्रति व सलग्न दस्तावेजो के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 22.09.2022 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। दिनांक 13.10.2022 को अप्रार्थीगण सं0 4, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 06.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 8 ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 3 व 7 व 9 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से इनके विरुद्ध दिनांक 23.12.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर इनका जवाब बंद किया गया। साथ ही अप्रार्थी सं0 4 ता 6 ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। इसी दिन दिनांक 23.12.2022 को प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 17:06:19 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज –02

प्रकरण सं0 32/2022
मनोज कंवर बनाम ओम कंवर
अंतर्गत धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मौजा पालड़ी एम तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा नं0 198/3 व 198/4 कुल रकबा 1.813 हैक्टेयर व सलंग्न दस्तावेजो तथा वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थीगणों की उक्त बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मौजा पालड़ी एम तहसील शिवगंज जिला–सिरोही के खसरा नं0 198/3 व 198/4 कुल रकबा 1.813 हैक्टेयर में पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में अतिकमण/बेदखल करने की संभावना व खातेदारी भूमि में काश्त करने में विघ्न पैदा होने तथा भविष्य में और भी कानुनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थीया से उक्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार) शिवगंज को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी का नेखमबंदी करने से पूर्व सभी आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में नेखमबंदी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त नेखमबंदी करने से पूर्व प्रार्थीया व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित किया जाकर एक तिथि निश्चित (वर्षा काल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 को ध्यान में रखते हुए) कर नेकमबंदी की जावे। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/– रूपये (एक हजार) मात्र निर्धारित किया जाता है जो प्रार्थीया द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाने से पुलिस ईमदाद प्राप्त करें। आदेश सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(मुहर: न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान))

लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (राज.)
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक 22
6.1.23

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 17:06:19 IST
Reason: SelfAttested

लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
शिवगंज (सिरोही)